अवैध गतिविधि | वनमाफिया कर रहा बेशकीमती सागौन की कटाई, वन अमले पर लगा सांठगांठ का आरोप

कन्हड गांव और गोरेघाट वन क्षेत्र से सागौन की कटाई जोरों पर

नवभारत कटंगी। वन परिक्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाले उप परिक्षेत्र कन्हडगांव और गोरेघाट वन क्षेत्र में इन दिनों सागौन के पेड़ों की कटाई जोरों पर है वनमाफिया बेशकीमती सागौन की कटाई कर समीपवर्ती जिलासिवनी और महाराष्ट्र प्रान्त के क्षेत्र से लगे शहरों में वाहनों से परिवहन कर रहे हैं वहीं क्षेत्र में अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण कार्य कर वनों का सफाया कर रहे हैं।

गोरेघाट क्षेत्र के भाग एक में बावनथडी नदी के किनारे भारी मात्रा में सागौन के पेड़ों को महुआ के अवैध शराब निर्माणकर्ताओं ने शराब भट्टों में झोंक कर वनों का विनाश किया जिसमें वन अमले की सांठगांठ ग्रामीणों ने बताया है क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई की रोकथाम के लिए स्थानीय वन अमला कोई कारगर कार्य वाही नही कर रहा है जिससे प्रतित हो रहा है कि यह गोरखधंधा वन अमले की शह पर ही चल रहा है यदि ऐसा नहीं है तो फिर वन अमले ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नही की जबकि इस क्षेत्र में वन माफिया हमेशा सक्रिय रह कर वनों से बेशकीमती लकड़ियों का सफाया करते रहे हैं ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें पूर्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबुलाल चडार कटंगी ने रात्रि में गस्त के दौरान सागौन से भरे वाहनों को पकड़ कर कार्यवाही की है जिसमें कार्यवाही के दौरान स्थानीय वन अमला नदारत रहा किंतु वरिष्ठ अधिकारियों ने वन अमले पर कोई कार्यवाही नही करते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया ग्रामीणों का कहना है कि चार पांच माह पहले जिन अधिकारियों की यहां पदस्थापना की गई है। इनकी भी वन माफियाओं से साठ-गांठ होने से यह गोरखधंधा फल-फूल रहा है विदित हो की यह वन क्षेत्र जिले के अंतिम छोर पर है जिससे यहां वरिष्ठ अधिकारियों का आना जाना कम ही होता है तथा जिनको रक्षा का दायित्व यहां सौंपा गया है वह रक्षक की जगह भक्षक बन बैठे हैं एक समय था जब इस वन क्षेत्र में बेशकीमती सागौन वन संपदा थी जो समाप्त होते जा रही हैं इसी तरह तिरोडी उप परिक्षेत्र में हीरापुर बीट और खरपड़िया में भी भारी मात्रा में सागौन की कटाई की गई है वरिष्ठ अधिकारी जिसकी जांच कर दोषियों पर कार्यवाही नही करते है तो वह दिन दूर नही जब यह जंगल सागौन विहिन हो जायेंगे।

इनका कहना है

मामला आपने संज्ञान में मेरे भी लाया गया है, स्टाफ की कमी है और वन अमले की लापरवाही से यदि ऐसा हो रहा है या इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी ।

बाबूलाल चडार
वन परिक्षेत्र अधिकारी, कटंगी

हरे माधव प्राकट्य दिवस पर किया पौधरोपण

- हरे माधव संत्सग भवन का कार्य जल्द होगा शुरू

नवभारत, वारासिवनी । नगर के गुरूनानक नगर मे आज जीवनमुक्त सतगुरू बाबा ईश्वरशाह साहिब जी के 50 वे हरे माधव प्राकटय दिवस पर व्रक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

हरे माधव संत्सग घर के पास जैव विविधता को बढावा देते हुये वायु व जल प्रदुषण को कम करने के उद्वेश्य से किये गये व्रक्षारोपण कार्यक्रम मे विभिन्न पौधो का रोपण करते समय सर्वश्री गागनदास सोमानी, मनोज दांदरे, मोनू लिमजे, लोकेश ठाकरे, राकी गिडवानी सहित समाज के प्रमुख लोग उपस्थित भी रहे।

इस अवसर पर समाजसेवी संस्था स्नेह फाउडेंशन ने भी व्रक्षारोपण कार्यक्रम मे अपनी सहभागीता करते हुये सहयोग प्रदान किया।

वही गागनदास सोमानी जी ने पूछे जाने पर बताया की हरे माधव संत्सग भवन के लिये 60 बाय 60 का प्लाट ले लिया गया है।

जल्द बाबा की क्रपा से सत्संग भवन का कार्य शुरू किया जा रहा है।

कम उम्र में छत्रेश शांडिल्य को मिली पीएचडी की उपाधि

किरनापुर। बालाघाट जिले के गौरव बिरसा तहसील के छोटे से गांव अण्डीटोला में रहने वाला छत्रेश शांडिल्य पिता घनश्याम शांडिल्य माता कृष्णा शांडिल्य के पुत्र ने बहुत कम समय में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट से राजनीति विज्ञान विषय में पीएचडी कर डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर के अपने माता पिता, कलार समाज और बालाघाट जिले का नाम रोशन किया।

मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उनका काम करवाना मेरा दायित्व : विवेक पटेल

नवभारत, वारासिवनी । विधायक विवेक विक्की पटेल द्वारा अपने कार्यालय में जब भी समय मिल रहा जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा हैं। इसी कड़ी मे रविवार को भी उन्होने जनता दरबार लगाया और उसमें उपस्थित हुये लोगों से उनकी समस्यायें जानने का प्रयास किया।

ग्रामीणों ने पहुंचकर इस दौरान विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। जिसे लेकर विधायक विवेक विक्की पटेल द्वारा संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई और उसके निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अपने गाँव की तो कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर पहुंचें थे।वही कुछ शिकायतकर्ताओं ने फसल सूखने, बिजली की समस्या, सड़क के खराब होने सहित कई अन्य बाते ध्यान में दिलाया गया।ग्राम व जनपद पंचायतों में उनके कार्य नहीं होने,पुलिस से जुड़ी कार्यवाही आदि को लेकर भी विधायक को अवगत कराया गया।

जिसे सुनने के साथ ही विधायक ने आवश्यक होने पर स्थानीय स्तर पर त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया गया और कुछ के लिये अधिकारियों को कार्यवाही करने निर्देशित किया गया हैं।

Land for Sale at Kaanha (M.P.)

Clear title land for sale in Kaanha. Ideal for farmhouse and residential plotting. Contact **9074747174 / 9072311440** for further details.

न्यायालय तहसीलदार तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)

ईस्तहार

रा.प्र.क्र. /ड-154/2024-25
मौजा अतरी तहसील खैरलांजी

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम अतरी प.ह.नं. 43 तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट वालो को सूचित किया जाता है कि आवेदक /आवेदिका शालिनी पिता नन्दकिसोर जाति ब्राम्हण निवासी अतरी तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट द्वारा इस न्यायालय में अपने पिता/पति/स्वयं/पुत्र/पुत्री/ मां अंजीरा /पति नन्दकिशोर जाति ब्राम्हण का मृत्यु दिनांक 10/02/2006 पंजीयन किये जाने बाबद आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अत : प्रस्तुत आवेदन पत्र के सबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वे अपनी लिखित आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 03/12/2025 तक स्वयं अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है, नियत तिथि पश्चात प्राप्त आपत्ति अविचारणीय होगी।

जारी दिनाक :- 20/11/2025

सक्षम प्राधिकारी एवं तहसीलदार खैरलांजी

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान

गणना पत्रक की प्रविष्टियां भरने के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु

- गणना पत्रक में प्रथमत: पिता, माता, पति/पत्नी संबंधित जानकारी अंकित करें।
- पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता (स्वयं का) या रिश्तेदार (पिता/माता/दादा/दादी) का विवरण बताए गए स्थान पर अंकित करें।
- सर्च के लिए निम्न व्यवस्थाएं : पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में स्वयं अथवा पिता/माता/दादा/दादी का विवरण प्राप्त करने हेतु:-
  - बीएलओ से प्राप्त गणना पत्रक पर दिए गए नाम एवं फोन नंबर पर अथवा जिला प्रशासन द्वारा स्थापित अपने नजदीकी हेल्प-डेस्क पर सम्पर्क कर सकते हैं।
  - अन्य राज्यों के पूर्व SIR से संबंधित मतदाता सूची https://voters.eci.gov.in पर सर्च के लिए उपलब्ध है।
  - मध्यप्रदेश राज्य की पूर्व SIR से संबंधित मतदाता सूची https://ceoelection.mp.gov.in/ पर सर्च के लिए उपलब्ध है।
  - क्यू आर कोड पर स्कैन कर भी मतदाता अपना विवरण सर्च कर सकते हैं।

ध्यान रहे : 04 दिसम्बर 2025 गणना पत्रक जमा करने की अंतिम तिथि है

- गणना पत्रक भरने हेतु किसी भी बीएलओ/अधिकारी द्वारा ओटीपी की मांग नहीं की जाती है।
- यदि पूर्व SIR में स्वयं या रिश्तेदार (पिता/माता/दादा/दादी) का नाम उपलब्ध नहीं है तो भी मतदाता का गणना पत्रक प्राप्त किया जाएगा तथा इनका नाम प्रारुप मतदाता सूची में शामिल होगा। गणना पत्रकों की जांच प्रारुप मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात शुरु होगी।

शुद्ध मतदाता सूची, सशक्त लोकतंत्र | अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क करें **1950**

ceoelection.mp.gov.in /CEOMPElections @ceompelections /ceompelections /CEOMPSVEEP

भारत निर्वाचन आयोग
प्रारुप गणना पत्रक

Name and Contact No. of BLO

निर्वाचक का नाम : ईपीआईसी (इपिक) : पता : विवरण पहले से भरा होगा।	क्रम संख्या : भाग संख्या एवं नाम : विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम : राज्य का नाम :	विवरण पहले से भरा होगा।	इस स्थान पर वर्तमान मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाता की फोटो प्रिंट रहेगी।	नवीन फोटो चिपकाएं

जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)	यहां मतदाता की जन्म तारीख भरें (दिन/माह/वर्ष)
आधार संख्या (वैकल्पिक)	यहां मतदाता की आधार संख्या भरें (वैकल्पिक)
मोबाइल नंबर	यहां मतदाता का मोबाइल नंबर भरें
पिता/अभिभावक का नाम	यहां मतदाता के पिता का नाम भरें
पिता/अभिभावक का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	यहां मतदाता के पिता का इपिक नंबर भरें (यदि उपलब्ध हो)
मां का नाम	यहां मतदाता की माता का नाम भरें
माता का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	यहां मतदाता की माता का इपिक नंबर भरें (यदि उपलब्ध हो)
पति या पत्नी का नाम (यदि लागू हो)	यहां मतदाता के पति या पत्नी का नाम भरें (यदि लागू हो)
पति या पत्नी का इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	यहां मतदाता के पति या पत्नी का इपिक नंबर भरें (यदि उपलब्ध हो)

पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण			पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, पिछले एसआईआर के अनुसार		
निर्वाचक का नाम :			नाम :		
इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो) :			इपिक नम्बर (यदि उपलब्ध हो) :		
रिश्तेदार का नाम :			रिश्तेदार का नाम :		
रिश्ता :			रिश्ता :		
जिला :			जिला :		
राज्य का नाम :			राज्य का नाम :		
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :			विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम :		
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या :	भाग संख्या	क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या :	भाग संख्या	क्रम संख्या

यदि आपका नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है तो उसका विवरण भरें।

यदि आपका नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो अपने पिता/माता/दादा/दादी का पूर्व एसआईआर में दर्ज विवरण भरें।

(i) उपर्युक्त निर्वाचक ने, स्वयं मैंने/मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।

(ii) मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूं और ऊपर उल्लिखित नाम, मेरा/मेरे परिवार के सदस्य का होने के नाते, किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है।

(iii) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों, दण्डनीय अपराध होगा।

मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर/बांये अंगूठे का निशान (रिश्ते का उल्लेख करें) तिथि सहित

बीएलओ की घोषणा : मैंने उपरोक्त विवरण को पिछले एसआईआर मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है।

बीएलओ के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा जनहित में जारी

D-11147/25 आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025